केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंग नाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली--110 067

CICOM/A/P/20/00073
CICOM/R/P/20/00067

अपीलकर्ता का नाम : श्री शाभित मौर्या
ग्राम–बेहसा, अमौसी एयरपोर्ट,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश। पिन–226 009

1.	आरटीआई आवेदन की तिथि	23.01.2020
2.	सीपीआईओ के जवाब की तिथि	03.02.2020
3.	सीपीआईओ का विवरण	श्री एच0 पी0 सेन, सीपीआईओ–सह–डिप्टी रजिस्ट्रार,
4.	प्रथम अपील की तिथि	20.08.2020
5.	प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील प्राप्ति की तिथि	31.08.2020
6	निर्णय की तिथि	21.09.2020

1. वाद का संक्षीप्त विवरण :

अपीलकर्ता ने अपने प्रस्तुत आरटीआई आवेदन के माध्यम से आयोग में पंजीकृत अपने द्वितीय अपील संख्या CIC/AAOIN/A/2018/170454 की सुनवाई की संभावित तिथि तथा इसमें हो रहे विलम्ब के कारण की सूचना की मांग की थी।

2. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी का जवाब :

अपीलकर्ता के उक्त आवेदन के संदर्भ में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री एच0 पी0 सेन, डिप्टी रजिस्ट्रार, सूचना आयुक्त (डी.पी.) ने प्रार्थी को यह सूचित किया कि प्रश्नगत द्वितीय अपील की सुनवाई की सटीक तारीख की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। वर्तमान में अगस्त 2018 में दर्ज मामलों की सुनवाई की जा रही है।

3. प्रथम अपील का आधार :

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के उक्त जवाब से असंतुष्ट होकर प्रार्थी ने प्रथम अपील दाखिल किया है तथा उनके उक्त द्वितीय अपील की सुनवाई की तिथि बताने का आग्रह किया है।

4. निर्णय :

प्रथम अपील, आरटीआई आवेदन और केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित जवाब का अवलोकन करने के उपरांत यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने प्रार्थी के आरटीआई आवेदन के संदर्भ में प्रार्थी को तथ्यात्मक वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया है कि आयोग की संबंधित रजिस्ट्री, जिसमें प्रार्थी की प्रश्नगत द्वितीय अपील सुनवाई हेतु लंबित है, द्वारा अगस्त 2018 में पंजीकृत हुए मामलों की सुनवाई चल रही है। उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(च) के प्रावधानों के अंतर्गत केवल वह सूचना, जो लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध और उसके द्वारा धारित अथवा उसके नियंत्रणाधीन है, प्रदान की जा सकती है। ऐसी कोई भी सूचना, जो भविष्यलक्षी है और रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है, एक जन सूचना अधिकारी प्रदान नहीं कर सकता है। उल्लेखनीय है कि आयोग में प्रथम पंजीकरण, प्रथम निस्तारण के आधार पर मामलों की सुनवाई की जाती है। इस प्रकार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी सूचना तथ्यात्मक और सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। अतः प्रस्तुत मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अपील निस्तारित की जाती है।

6. यदि प्रार्थी उपरोक्त निर्णय से असंतुष्ट हैं, वे चाहें तो प्रस्तुत निर्णय के विरूद्ध के केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली–110 067 के समक्ष प्रस्तुत निर्णय की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के अंदर द्वितीय अपील दाखिल कर सकते हैं।

दिनांक – 21 सितम्बर, 2020

मीना शर्मा 21/09/2020

(मीणा बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 26162290

प्रतिलिपि:-

1. श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आरटीआई स्कंध, सीआईसी, नई दिल्ली।
2. श्री एच. पी. सेन, सीपीआईओ–सह–डिप्टी रजिस्ट्रार, सीआईसी, नई दिल्ली।